तारीख हुक्म	अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम युनुस उर्फ भलू वगैरह किस्म मुकदमा नं.फौ. सं. 147A/2015 (सी.आई.एस. नं. 225/2015)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

04.09.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर मय अधिवक्ता श्री रूपचंद सोनी उप.। **अभियुक्त शहनवाज प्रकरण में मफरूर है।**

बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त सं.1. युनुस उर्फ भलू पुत्र निजामुद्दीन, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ व अभियुक्त सं.2. अमीर पुत्र रसीद खां, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 व 411 भारतीय दंड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत प्रत्येक अभियुक्त धारा 437(ए) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह की अवधि के लिये 10,000/- रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस न्यायालय में पेश करे। उपरोक्तानुसार जमानत मुचलके पेश होने पर अभियुक्तगण द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्तानुसार आदेश की पालना में अभियुक्तगण की ओर से जमानत मुचलके पेश हुए जो बाद जांच तस्दीक किए गए तथा अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए गए। अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर को प्रकरण में रिहा किया जाता है।

प्रकरण में दौराने विचारण दिनांक 08.08.2025 को अभियुक्त शहनवाज को मफरूर घोषित किया गया है, अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे। पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किए जाने बाबत लाल स्याही से पत्रावली के सरबरक पर नोट भी अंकित किया जाए।

निर्णय सी.आई.एस. पर अपलॉड किया जाए। पत्रावली मफरूरी में नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नवदीप)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सरदारशहर, जिला-चूरू।